

**M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com)

CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/आरसीओ/उद्यान/2019-20/566

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

**रेट कान्ट्रेक्ट आफर – संशोधन सूचना (Corrigendum) 8**

1. संशोधन सूचना (Corrigendum) 7 (मुख्या/आरसीओ/उद्यान/2018-19/473 दिनांक 25.2019) से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने की दिनांक 4.5.2019 के स्थान पर 13.5.2019 निर्धारित की जाने की सूचना जारी की गई जिसे आगे बढ़ाते हुए 13.5.2019 के स्थान पर दिनांक 15.5.2019 निर्धारित की जाती है। तकनीकी बिड दिनांक 16.5.2019 को अपरान्ह 3 बजे खोली जाएगी।

ऐसे आफरकर्ता, जिनके द्वारा पूर्व में आफर प्रस्तुत कर दिये गये हैं, वे पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये आफर को आफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व तक संशोधित कर सकते हैं।

2. मुख्या/आरसीओ/उद्यान/2018-19/266 दिनांक 18 अप्रैल 2019 से जारी की गई संशोधन सूचना क्रमांक 5 दिनांक 18 अप्रैल 2019 को निरस्त करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर के परिशिष्ट क्रमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

परिशिष्ट 3

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	ऑफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN) नोट : ऑफरकर्ता फर्म प्रोपाईटरी फर्म होने की दशा में प्रोपायटरी शिप संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ऑफरकर्ता का व्यक्तिगत आयकर पंजीयन मान्य होगा, अतः उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करे
2	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.No)
3	ऑफर की गई नोटीफाईड प्रोपराइटरी हायब्रिड बीज की किस्म मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है, के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी वैध नोटीफिकेशन की स्व प्रमाणित प्रति।
4	भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा उत्पादक के नाम से जारी आर एण्ड डी मान्यता का वैध प्रमाणपत्र
5	अनुज्ञप्ति अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी से जारी उत्पादक कम्पनी एवं वितरक कम्पनी/संस्थान को जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।

//2//

6	आन लाईन राशि जमा करना- परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार
7	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है (पृष्ठ क्रं. 1 से 22 तक तथा परिशिष्ट 1 से 11 तक )
8	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 1,000/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
9	बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति
10	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र मूलप्रति में 1, 2 एवं 5 में उल्लेखित दस्तावेज उत्पादक एवं वितरक दोनों के प्रस्तुत करना हैं ।
11	सभी प्रस्तुत दस्तावेज ऑफरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित किए जाएं ।

#### वित्तीय आफर

परिशिष्ट क्रमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

\* यदि लागू हो, अपलोड किये जाएं ।

3. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के परिशिष्ट क्रमांक 11 के पेरा क्रमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

परिशिष्ट 11 हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है । आफर की गई किस्मों गत 3 वर्षों में किसी भी राज्य में प्रतिबंधित नहीं की गई है ।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शेष सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेगी ।

महाप्रबंधक उद्यान